पत्रांक –3/एम० 74 /2011 1062/

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

सरयुग प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष

पटना, दिनांक 13-4-2011

विषय– सरकारी विभागों एवं संलग्न कार्यालयों में सुधार लाने के लिए अनुदेश–मामलों का शीघ्रता से निष्पादन।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि सचिवालय में कार्य निष्पादन में निर्धारित समय–सीमा का पालन सुनिश्चित करना आवश्यक है।

2. इस संबंध में सचिवालय अनुदेश के अध्याय–5, अध्याय–6 के सेक्शन III, सब–सेक्शन 3 (Time Allowed for Submission of Papers) और समय–समय पर निर्गत विभिन्न पत्रों में विस्तृत अनुदेश दिए गए हैं।

3. उपर्युक्त उद्देश्य हेतु यह समझा गया है कि प्रत्येक संचिका में पत्रावरण पर पत्रों/संचिकाओं की प्राप्ति की तिथि, विभिन्न स्तरों के पदाधिकारियों द्वारा उपस्थापन की तिथि आदि अंकित की जाय। एतदर्थ एक प्रपत्र विहित कर इसके साथ संलग्न किया जाता है। अनुरोध है कि प्रत्येक संचिका में पत्रावरण पर इस प्रपत्र को सटवाने एवं नियमित रूप से इसमें प्रविष्टि सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय, ताकि प्रत्येक संचिका का समय पर उपस्थापन सुनिश्चित किया जाए।

4. यह व्यवस्था दिनांक 25.04.2011 से लागू होगी और उस तिथि से ही उक्त प्रपत्र में प्रविष्टि के बिना किसी संचिका की प्राप्ति किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं होनी चाहिए। कृपया इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन
13/4/11
(सरयुग प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

विभाग का नाम –

संचिका संख्या – **कम्प्यूटर संख्या –**

विषय –

संचिका उपस्थापन का विवरण				
क्रमांक	पदा०/कर्म० का नाम एवं पदनाम	प्राप्ति तिथि	उपस्थापन तिथि	निर्णय/आदेश/मंतव्य यदि कोई हो